तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी/टीए/353/2002/जयपुर छीतर व अन्य बनाम श्रीमती रामा देवी व अन्य	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

एकलपीठ (कैम्प जयपुर)
श्री रामनिवास जाट, सदस्य

उपस्थित
श्री हिमांशु सोगानी, अधिवक्ता प्रार्थी
श्री श्यामबाबू पारीक, अधिवक्ता अप्रार्थी

निर्णय

यह निगरानी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 230 के अंतर्गत न्यायालय अति0 जिलाधीश, तृतीय जयपुर के निर्णय दिनांक 22/01/2002 से व्यथित होकर प्रस्तुत किया गया है।

हस्तगत प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि अप्रार्थीया संख्या 1 रामादेवी ने दिनांक 23.07.2001को तहसीलदार, फुलेरा के समक्ष एक आवेदन अंतर्गत धारा 183सी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थीया अनुसूचित जाति की महिला है और स्वर्ण जाति के अप्रार्थीगण द्वारा उसकी खातेदारी भूमि खसरा नं0 487 रकबा 6 बीघा 2 बिस्वा पर अधिकृत रूप से पुनः कब्जा कर दिया है। तहसीलदार, फलेरा ने अपने निर्णय दिनांक 01.10.2001 पारित करते हुये अप्रार्थीगण को 5000–5000 रूपये की शास्ती व एक–एक वर्ष की सजा से दण्डित करने के आदेश दे दिये। तहसीलदार के उक्त आदेश दिनांक 01.10.2001 के विरूद्ध प्रार्थीगण ने अपील न्यायालय अति0 जिलाधीश, तृतीय जयपुर के समक्ष प्रस्तुत की। जिसे न्यायालय अति0 जिलाधीश, तृतीय जयपुर ने अपने निर्णय दिनांक 22.01.2002 से निरस्त कर दिया। न्यायालय अति0 जिलाधीश, तृतीय जयपुर के उक्त निर्णय के विरूद्ध यह निगरानी प्रस्तुत की गयी है।

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी/टीए/353/2002/जयपुर छीतर व अन्य बनाम श्रीमती रामा देवी व अन्य	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस निगरानी में बहस सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीगण का बहस में कथन है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के विपरीत, विधि विरूद्ध एवं अपने क्षेत्राधिकार दुरूपयोग करते हुए पारित किया गया है, जो निरस्त किये जाने योग्य है। उनका कथन है कि अधीनस्थ न्यायालयों ने धारा 183सी के बाध्य प्रावधानों पर विचार किये बिना ही निर्णय पारित किया है। तहसीलदार, फलेरा ने गिरदावर हल्का जोबनेर की रिपोर्ट मात्र के आधार पर दोष सिद्ध होना मानते हुये प्रार्थीगण के कारावास व आर्थिक दण्ड से दण्डित करने का आदेश पारित कर दिया जिसे अधीनस्थ न्यायालय अति0 जिलाधीश,तृतीय जयपुर ने भी बहाल रखे जाने का विधि विरूद्ध आदेश पारित कर दिया। विद्वान अभिभाषक ने आगे तर्क दिया कि राजस्थान कातश्कारी अधिनियम, 1955 में दिनांक 02.03.1995 के संशोधन अधिनियम द्वारा धारा 183 सी जोडी गयी परन्तु उसके पश्चात भी तृतीय परिशिष्ट में कोई संशोधन नहीं किया गया। इस प्रकार धारा 183 सी के अंतर्गत बताये गये अपराध के विरूद्ध कार्यवाही करने का संबंधित तहसीलदार को क्षेत्राधिकार दिये जाने का कोई प्रावधान नही बनाया गया है। ऐसी स्थिति में कार्यवाही करने का क्षेत्राधिकार सबंधित न्यायिक मजिस्ट्रेट को ही है। दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णय विधि विरूद्ध होने से निरस्त किये जाने योग्य है। बहस के अंत में विद्वान अभिभाषक ने प्रस्तुत निगरानी को स्वीकार करने का निवेदन किया। विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थीगण का बहस में कथन है कि प्रार्थीगण ने अप्रार्थीगण की खातेदारी भूमि पर जबरन कब्जा	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी/टीए/353/2002/जयपुर छीतर व अन्य बनाम श्रीमती रामा देवी व अन्य	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	काश्त कर रखा है। अप्रार्थीया अनुसूचित जाति की महिला है। इसलिए यह प्रकरण अनुसूचित जाति/ जनजाति का होने के कारण तसहीलदार द्वारा धारा 183सी के तहत जो निर्णय दिया वह विधिसम्मत निर्णय है। धारा 183सी के तहत तहसीलदार ने सही व उचित रूप से अपने क्षेत्राधिकार का प्रयोग किया है क्योंकि धारा 183सी के अंतर्गत अधिकतम 3 वर्ष की सजा व 2,00,000/– रूपये तक के जुर्माने का प्रावधान है। तहसीलदार ने प्रार्थीगण को 5000–5000/–रूपये की शास्ती व एक वर्ष की सजा से दण्डित किया है जो उनके क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आती है। इसमें तहसीलदार ने किसी प्रकार से अपने क्षेत्राधिकार का दुरूपयोग नहीं किया। विद्वान अभिभाषक ने आगे तर्क दिया कि प्रार्थीगण द्वारा ऐसा कोई सबुत अथवा तथ्य प्रस्तुत नहीं किये जिससे यह स्पष्ट होता हो कि उन्होने अतिक्रमण नहीं किया है। अतिक्रमण की पुष्टि गिरदावर हल्का की रिपोर्ट से भी हुई है। बहस के अतं में विद्वान अभिभाषक ने दोनें अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णयों को विधिसम्मत बताते हुये प्रस्तुत निगरानी को खारिज करने का निवेदन किया। पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया विद्वान अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया गया। प्रकरण के समस्त विवेचन व विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि अभिभाषक प्रार्थीगण ने अपनी बहस में कथन किया है कि उनके पक्षकारों द्वारा विवादित भूमियों के मौके पर से कब्जा छोड दिया गया है। परन्तु इसकी पुष्टि किया जाना आवश्यक है। अतः प्रार्थी/निगराकार सबंधित तहसीलदार न्यायालय के समक्ष विवादित भूमियों का मौके पर से कब्जा छोड दिये जाने और भविष्य में पुनः कब्जा नहीं करने का शपथ पत्र प्रस्तुत करें। उनके द्वारा पूर्व में शास्ती की राशि	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी/टीए/353/2002/जयपुर छीतर व अन्य बनाम श्रीमती रामा देवी व अन्य	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	राजकोष में जमा कराने का साक्ष्य भी प्रस्तुत किया जावे। यदि प्रार्थी/निगराकार द्वारा यह पालना की जाती है तो सबंधित तहसीलदार द्वारा मौके पर इसकी जांच व सत्यापन कराकर मौका जांच रिपोर्ट उनकी पत्रावली में सलंग्न की जावे। उक्त निर्देश की पूर्ण पालना की शर्त पर ही यह निगरानी आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है और प्रार्थी/निगराकार की सजा माफ की जाती है। उक्त निर्देश की पालना पूर्ण नहीं होने की स्थिति में सजा यथावत रहेगी। परिणामतः हस्तगत् निगरानी आंशिक स्वीकार योग्य होने से उक्तानुसार आंशिक स्वीकार की जाती है। पत्रावली बाद फैसल शुमार, नंबर से कम की जाकर बाद तामील तकमील दाखिल दफतर हो । **(रामनिवास जाट)** **सदस्य**	